ई–मेल/डाक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ.6(1)(1)रोल्स/निर्वा./2013/828 जयपुर, दिनांकः 27/1/14

प्रेषकः– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितः– (1) समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर्स) राजस्थान।
(2) समस्त निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– लोकसभा आम चुनाव, 2014 से पूर्व मतदान केन्दो का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन एवं संशोधन के प्रस्तावों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता दिनांक 01 जनवरी, 2014 के संदर्भ में राज्य के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 31.01.2014 को किया जायेगा। मतदाता सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि मतदान केन्द्रवार मतदाताओं की संख्या कितनी हैं। तद्नुसार ऐसे मतदान केन्द्र जहॉ मतदाताओं की संख्या अधिक हो गई है, वहां पर सहायक मतदान केन्द स्थापित करने के विषय में प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे इससे पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों का शत्–प्रतिशत सत्यापन किया जाना आवश्यक है। इस विषय में दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं :–

2. लोकसभा आम चुनाव–2014 से पूर्व मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम

2.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के अन्तर्गत मतदान केन्दों की स्थापना, सूची तैयार करने एवं प्रकाशित किए जाने का उत्तरदायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) का हैं। वर्तमान में स्थापित मतदान केन्दों की सूची का विधानसभा आम चुनाव से पूर्व प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जा चुका हैं। इस सूची के आधार पर मौके की स्थिति के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों का शत्–प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाना हैं। मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में की जाएगीं। मतदान केन्द्रों का शत्–प्रतिशत भौतिक सत्यापन संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

नाम में परिवर्तन हो जाने संबंधी संशोधन की कार्यवाही जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर करेगें।

3.5 भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया जाए कि मतदान केन्द्र के भवन के क्षतिग्रस्त हो जाने या जिस भवन में मतदान केन्द्र स्थापित था कार्यालय बन्द हो जाने या कार्यालयों का स्थानान्तरण हो जाने के कारण मतदान केन्द्र का स्थान परिवर्तन अपरिहार्य हो गया है तो उसीं मतदान क्षेत्र में मतदान केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव विभाग को भिजवाये जाए। **मतदान केन्द्र के भवन में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय स्थायी समिति से विचार विमर्श के पश्चात् विभाग को प्रेषित किये जाएं।** इस संबंध में रिटर्निंग आफिसर हैण्ड बुक के अध्याय 2 में वर्णित प्रकिया की पालना सुनिश्चित की जाए।

3.6 यदि किसी भवन में दो मतदान केन्द्र/बूथ स्थापित है तो प्रत्येक बूथ के संबंध में यह स्पष्ट होना चाहिए कि अमुक मतदान केन्द्र, भवन के किस कमरा नंबर या दॉया भाग या बॉया भाग में स्थापित है। **अतः सत्यापन के दौरान इस तथ्य पर ध्यान दिया जाए। यदि वर्तमान मतदान केन्द्र की सूची उक्त सूचना अंकित नहीं है तो ऐसे संशोधन के प्रस्ताव भी विभाग को प्रेषित किए जाए।**

3.7 यदि पूर्व अनुमोदित सूची में मतदान केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम/ग्रामों का नाम लिखने से छूट गयें है या ग्राम/ग्रामों के नाम, शहरी क्षेत्रों के संदर्भ में वार्ड/वार्डो के नम्बर नहीं लिखे गये है तो संशोधन के प्रस्ताव विभाग को भिजवाया जाए।

4. **सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव –**

मतदान सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के बाद मतदान केन्द्रवार यह स्थिति स्पष्ट है कि मतदान केन्द्रं विशेष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। गत विधानसभा आम चुनाव के दौरान ऐसे मतदान केन्द्र जिनमें मतदाताओं की संख्या 1400 से अधिक हैं वहां पर सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किये गये थें। अर्हता दिनांक 01.01.2014 के संदर्भ मे मतदाता सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के बाद वर्तमान में स्थापित सहायक मतदान केन्द्रों के मूल मतदान केन्द्रों के अतिरिक्त किसी मतदान केन्द्र में मतदाताओं का संख्या 1400 से अधिक हो गई है तो इनके साथ स्थापित कियें जाने वाले सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव तैयार किए जाने। यहां यह स्पष्ट किया जाता हैं कि विधानसभा आम चुनाव के दौरान जिन मूल मतदान केन्द्रों के साथ सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं, का तत्समय आयोग से अनुमोदन प्राप्त किया गया हैं। इस कम में पुनः प्रस्ताव प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में प्रस्ताव तैयार किये जाने है। इस विषय में दिशा–निर्देश निम्न प्रकार से है:–

6 यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किये जाए, क्योकि वर्तमान में विद्यमान मतदान केन्द्रों की सूची के अनुसार ही मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया गया है, ऐसी स्थिति में मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन संभव नहीं हैं।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन का कार्य निर्धारित समय सीमा में ही किया जायेगा। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर पैरा–3 से संबंधित संशोधन एवं पैरा–4 के अनुसार सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव होने की स्थिति में उक्त प्रस्ताव 28 फरवरी, 2014 तक आवश्यक रूप से विभाग को प्रेषित कर दिये जायें, जिससे की विभाग स्तर पर इनका परीक्षण कर भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु इन्हे भेजा जा सकें। उक्त दिशा–निर्देश समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के ध्यान में तत्काल में लाये जायें।

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट का परिशिष्ट–1

जिले का नाम..............................

(न0)..........नाम..............................संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ....नाम................एवं आरक्षण की स्थिति..........

क्र0 स0	मतदान केन्द्र का स्थान (लोकेशन)	भवन का नाम एवं पता	भवन की विशिष्ठिया (सरकारी / अर्द्धसरकारी / प्राईवेट)	मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्र धार्मिक स्थल, पुलिस स्टेशन या अस्पताल में स्थापित तो नहीं है, उल्लेख करें।	मतदान केन्द्र की भौतिक स्थिति	मतदान केन्द्र क्षतिग्रस्त तो नहीं है। क्या मतदान केन्द्र के आस–पास उचित भवन उपलब्ध है?	मतदान केन्द्र का 20 SQ.m. का न्यूनतम क्षेत्रफल है या नहीं?	क्या भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र है? संख्या लिखे	मतदान केन्द्र तक पहुॅचने हेतु रोड की स्थिति (मतदान केन्द्र तक चलकर पहुंचने हेतु कितनी दूरी तय करनी होगी)	मतदान केन्द्र के साथ सहायक मतदान केन्द्र स्थापित करने हेतु उचित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

क्या मतदान केन्द्र में निम्न सुविधाएं उपलब्ध है												
पेयजल	शौचालय / मुत्रालय	शेड	प्रकाश	फर्नीचर	निकास हेतु दरवाजे	पुरूष / स्त्री मतदाता एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र धारित या जिनके पास पहचान पत्र नहीं है की पृथक– पृथक लाइन हेतु स्थान उपलब्ध है या नहीं?	क्या भवन के चारो ओर चारदीवारी (Boundry Wall) है?	क्या विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है	क्या सिलिंग फैन लगा हुआ है? व चालु है?	खिडकिया / दरवाजे टुटे हुए है या ठीक है ?	क्या स्थायी रैम्प है या नहीं	टिप्पणी
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर

नामः

पदः

Annexure-2

Format for the proplsals for creating Auxiliary Polling Station with original Polling Station

List of Proposed Auxiliary and Main Polling Stations for Bani Park (044) (Assambly Constituency (with in) Jaipur(06))

S.No.	Part No. Polling Station	Locality of Polling Station	Building in which Polling Station will be established	Area of the Polling Station (Sq.M.)	Whether there is a separate entrance, and exit if not, reasons	Polling areas	Total Voters	Total number of voters assigned	Maximum distance that a voter will have to travel to reach the station	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(Present)										
1	3	Charan Nadi	Government Secondary School, Charan Nadi-II, Room No. 4	28	No	Ward No.1	All	1735	1-5 KM	This Polling Station have 1735 voters, Hence it is proposed to create one separate Auxiliary Polling Station
(Proposed Polling Stations)										
2	3	Charan Nadi	Government Secondary School, Charan Nadi-II, Room No. 4	28	No	Ward No.1	All	827	1-5 KM	Voters from S.No. 1 to 827
3	3A	Charan Nadi	Government Secondary School, Charan Nadi-II, Room No. 1	12	No	Ward No.1	All	908	1-5 KM	Voters from S.No. 828 to 1738